भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1646

दिनांक 10 फरवरी,2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विनिर्माण

1646. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष चीन से भारत के आयात और निर्यात का कुल मूल्य कितना है और भारत के कुल आयात-निर्यात संतुलन में यह कुल व्यापार का कितना प्रतिशत है;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सौर उपकरण और दूरसंचार सहित उन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत चीन से आयात पर सबसे अधिक निर्भर है;
(ग) क्या वर्ष 2014 से किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने चीनी कंपनियों से सीधे सामान, पुर्जे या सेवाएं खरीदी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत चीनी आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) ऐसे आयातों के स्वदेशीकरण या विविधीकरण के लिए यदि कोई लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष चीन से भारत के आयात और निर्यात का कुल मूल्य और भारत के समग्र आयात-निर्यात संतुलन में इसकके प्रतिशत का ब्यौरा निम्नवत है:

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	**भारत का चीन के साथ कुल व्यापार (आयात और निर्यात)**	**भारत के वैश्विक व्यापार (आयात और निर्यात) में चीन के साथ भारत के कुल व्यापार का प्रतिशत हिस्सा**
2014-15	72.34	9.54
2015-16	70.72	10.99
2016-17	71.45	10.82
2017-18	89.71	11.66
2018-19	87.07	10.31
2019-20	81.87	10.39
2020-21	86.4	12.59
2021-22	115.83	11.19

2022-23	113.82	9.75
2023-24	118.41	10.62
2024-25	127.71	11.02
2025-26 (अप्रैल-दिसंबर)	110.2	12.12

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

यह नोट किया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में भारत के चीन को निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 36.68% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, कार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत मशीनरी और उपकरण आदि हैं।

चीन से आयात की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्ची सामुग्रियां हैं, जैसे एक्टिव फार्मास्युटिकल घटक, ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और असेंबलीज, मोबाइल फोन के पुर्जे आदि, जिनका उपयोग तैयार उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, जिन्हें भारत से निर्यात भी किया जाता है। ये वस्तुएं भारत में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, दूरसंचार और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आयात की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स, टेलीफोन घटकों आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत के डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपातंरण को को दिया जा सकता है।

(ग) भारत सरकार ने वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की सार्वजनिक अधिप्राप्ति में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017' (पीपीपी-एमआईआई आदेश) जारी किया है। यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों या स्वायत्त निकायों पर लागू होता है और इसमें कंपनी अधिनियम में परिभाषित सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि पात्रता शर्तें, जिनमें टर्नओवर, उत्पादन क्षमता और वित्तीय स्थिति जैसे मामले शामिल हैं, बोली प्रक्रिया से 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/ 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के अनुचित बहिष्कार का कारण नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा, बोली दस्तावेज में विदेशी प्रमाणपत्रों/अनुचित तकनीकी विशिष्टताओं/ब्रांडों/मॉडलों का उल्लेख करना स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाता है।

इसके अलावा, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने यह अनिवार्य किया है कि 200 करोड़ रुपये तक या समय-समय पर निर्धारित सीमा तक की निविदाओं के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर इनक्वायरी(जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी। इसके अलावा ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश का कोई भी बोलीदाता वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों की किसी भी खरीद में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।

सरकारी मंत्रालयों, विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चीनी कंपनियों से वस्तुओं, पुर्जों या सेवाओं की खरीद से संबंधित कोई भी डेटा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) से (ङ): घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत की गई थी। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाईट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल आदि में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर काफी निर्भरता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माणकारी इको-सिस्टम के विकास के लिए, सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया है।

सरकार भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की खोज करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम हो।

इसके साथ ही, सरकार नियमित रूप से आयात में होने वाली वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार संबंधी परिपाटियों के विरुद्ध व्यापारिक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने और उसकी सिफारिश करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 में 48,609 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में 3,710 करोड़ रुपये हो गया। वहीं दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,05,017 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

वर्ष 2024-25 में, पिछले वर्ष की तुलना में कई क्षेत्रों में चीन से आयात में गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए, उर्वरकों (61.4%) के आयात में अत्यधिक गिरावट हुई, इसके बाद अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पादों (19.7%), लोहा और इस्पात (10.3%), और कृत्रिम धागो (9.5%) के आयात गिरावट हुई।

उत्पादन क्षमता का स्वदेशीकरण और सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है और सरकार घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

****